डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

घड़सी राम चौधरी उर्फ घनश्याम चौधरी पुत्र जगमाल राम जाति चौधरी (जाट) निवासी हाउस सं. 16, पीपल गट्टा के पास, सिरसली, दूधवा खारा, तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
2. पंजाब नेशनल बैंक शाखा दूधवा खारा जिला चूरू जरिये शाखा प्रबन्धक

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नं. 08/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुदईब व प्रतिवादी सं. 1 स्वयं मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:—

लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर दावा वादी अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खाता संख्या 31 व 32 खसरा नम्बर क्रमशः 471 तादादी 6.3738 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 477 तादादी 0.4552 एवं खसरा नम्बर 527/130 तादादी 3.0604 हैक्टेयर रोही ग्राम सिरसली तहसील चूरू के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी का नाम घनश्याम पुत्र जगमाल के स्थान पर घड़सी राम चौधरी पुत्र जगमाल राम दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12 माह मार्च सन् 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:17 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू